बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2, पटना-800001

कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक-362 दिनांक-12.01.2018 द्वारा विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु सूचना प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित सूचना के आलोक में अंकेक्षण पदाधिकारी के पद हेतु प्राप्त आवेदनों की वरीयता सूची तैयार की गयी है। स्थायी स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक आदर्श रोस्टर के अनुरूप अभ्यर्थियों को संविदा पर अगले 11 माह के लिए नियुक्त किया जाता है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को निदेश है कि अपना पी0पी0ओ0/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथपत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ दिनांक-31.01.2019 तक निगम मुख्यालय, पटना में योगदान करना सुनिश्चित करेगें। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

क्र0 स0	आवेदक का नाम	गृह जिला	विभाग का नाम	सेवानिवृति का पद	कोटि
1	श्री शंकर झा	मधुबनी	वित्त विभाग, पटना	वरीय अंकेक्षक वर्ग-1	सामान्य
2	श्री राम बाबु साह	वैशाली	महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी	अत्यंत पिछडा वर्ग
3	श्री अभय कुमार गुप्ता	हाजीपुर	महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना	सहायक अंकेक्षण पदा0	सामान्य
4	श्री उपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	भोजपुर	महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी	सामान्य
5	श्री दिनेश कुमार सिंह	सारण	सहकारिता विभाग, मोतिहारी	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी	सामान्य
6	श्री शम्भु नाथ केशरी	जमशेदपुर	पशु पालन एवं सहकारिता विभाग, कोडरमा	अनुमंडल अंकेक्षण पदा0	सामान्य

शर्तेः-

1. अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पाय़ी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
2. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-31.01.2019 के पूर्वाह्न तक निगम मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्राकर का भत्ता देय नहीं होगा।
3. सभी अभ्यर्थी द्वारा निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार एकरारनामा किया जायेगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
5. उल्लेखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में ग्यारह माह के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कोइ्र बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
6. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
7. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
8. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः

22.1.19

समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगी।

9. इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह0/-
उप महाप्रबंधक प्रशासन।

ज्ञापांकः-03:02:77:01:18:- 862 दिनांकः- 22/1/19
प्रतिलिपिः-सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-
उप महाप्रबंधक प्रशासन।

ज्ञापांकः-03:02:77:01:18:- 862 दिनांकः- 22/1/19
प्रतिलिपिः-मुख्य महाप्रबंधक अधिप्राप्ति/जन वितरण/मुख्य सतर्कता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/प्रबंधक निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय, पटना एवं सभी जिला प्रबंधक, बिहार, राज्य खाद्य निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
उप महाप्रबंधक प्रशासन।

ज्ञापांकः-03:02:77:01:18:- 862 दिनांकः- 22/1/19
प्रतिलिपिः-प्रभारी नियंत्रण कक्ष, निगम मुख्यालय, पटना को निदेश है कि निगम के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि सफल अभ्यर्थियों को सूचना प्राप्त हो सके।

ह0/-
उप महाप्रबंधक प्रशासन।

ज्ञापांकः-03:02:77:01:18:- 862 दिनांकः- 22/1/19
प्रतिलिपिः-सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22.1.19
उप महाप्रबंधक प्रशासन।